03/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित प्रतिवादी सं. 4 से 6 एवं 8 का जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी सं. 3 एवं 7 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 24/8/22 को पेश हो।

SDO

24/8/22 आज यह पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना 1 I हेतु पेश हुई। वकुलाय उपस्थित बहस के दौरान वादी वकील ने बताया फरमाया कि आ०ख० नं. 726/0.46, 732/0.19, 782/0.37, 783/0.56 वाके ग्राम बीलेरा में मैं 4/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार हूँ संयुक्त खातेदारी है। मौके पर पास है, पहले से खेत

भी कर रखे हैं। प्रतिवादीगण से विधिवत बंटवारे के लिए कहाँ तो उन्होंने मना कर दिया। रहन, बेच करके विशिष्ट भाग पर Possession देना चाहते हैं। यदि Stranger Purchaser आ जायेगा तो पीछे के खेतों में मेरा आना जाना बंद हो जायेगा। without Partition मुझे अपूर्णीय क्षति होगी। प्रत्येक इंच पर सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। TI के अभाव में कोई दर्ज नहीं किया। वादी वकील के द्वारा निम्न नजीर पेश की

(1.) RRT 2018-19 - SUPP - P497 - Rev. Board & H.C. - संयुक्त खातेदारी में TI देनी चाहिए। (2) RRT 2018-19 - SUPP - P-509 (3) RRT 2020 - P14 - संपत्ति की सुरक्षा - प्रत्येक इंच पर (4) RRT 2020 - आवश्यक निरीक्षण से पाये जाने पर TI दी जावेगी - [illegible] [illegible] में TI स्वीकार करने का निवेदन किया।

वादी [illegible] प्रतिवादी वकील ने [illegible] [illegible] 1, 2, 3 [illegible] है [illegible] है। [illegible]

की शादी के लिए अपने हिस्से की
आराजी बेचना चाहता हूँ। जमाबन्दी
सम्वत् 2073-75 के खाता संख्या
495 में मेरा नाम मेन्शन नहीं है। इसके
अलावा अन्य 5 खातों में वादी द्वारा
बँटवारा नहीं चाहा गया है। प्रा०पत्र
के पैरा सं. 3 में कौरिंग का उल्लेख
है। मिथ्या स्टेटमेंट ले रखा है। गुड
कह रहे हैं कि बाहमी बँटवारा हो
चुका है। खाता सं. 495 में खसरी
पाले पप्पु खाँ को पक्षकार नहीं बनाया
है जबकि जमाबन्दी में मरवातेदार है।
नजीर RTA - धा 4 - जोत के
बँटवारे के प्रत्येक वाद में समस्त
पक्षकार बनाये जावेंगे। अतः प्रा०पत्र
7 I खारिज करने का निवेदन
किया। प्रतिवादी वकील ने यह भी
बयान कराया कि बँटवारे के प्रत्येक
वाद में अनिवार्य पक्षकार होना चाहिये।

अपनी पत्नि को ही पक्षकार नहीं बनाया। सुविधा का संतुलन - माता-पिता वृद्ध हैं और बच्चियों (लड़कियों) की शादी के लिए परेशान हो रहे हैं। अपूरणीय क्षति - मैं [illegible] को देख रहा हूँ।

उक्त सम्बन्ध में वादी वकील ने निवेदन किया कि Argument Suit का किया है क्यों रह गई है तो प्रा० पत्र O1R10 में पक्षकार बना देंगे, तथा Suit में देखेंगे। लड़कियों की शादी करनी है तो मुझे [illegible] है। जिनमें चाहूँगा, उन (बातों में [illegible] लगाऊंगा। अतः प्रतिवादीगण को रजाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया विचाराधीन प्रकरण विवादित [illegible] होने [illegible] की [illegible] [illegible] है। [illegible] की सुविधा में [illegible] [illegible] का [illegible] है। [illegible] [illegible] आना [illegible] है। [illegible]

उच्च अदालत द्वारा समय-2 पर
अभिनिर्धारित किया गया है कि एक
सहखातेदार संयुक्त खाते की आराजी
में दूसरे सहखातेदार को आस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता।
चूंकि प्रतिवादीगण भूमि के सहखातेदार
है तथा आराजी का अभी तक विभाजन
नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रथम
दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में साबित
नहीं होता है। अपूर्णीय क्षति- जैसा
कि ऊपर विवेचित किया जा चुका है
कि विवादित आराजी में वादी का
प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है।
और प्रतिवादी भूमि के सहखातेदार है।
यदि आस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण
को पाबन्द किया जाता है तो निश्चित
रूप से प्रतिवादीगण के अधिकारो का
ही हनन होगा। जिससे अपूर्णीय
क्षति भी प्रतिवादीगण को ही होगी।

इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन – उक्त आस्थाई निषेधाज्ञा से उपरोक्त दोनों बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। यदि आस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को रोका जाता है तो उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिससे प्रतिवादीगण को ही असुविधा कारित होने की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है।

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत आस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रा०पत्र 212 RT Act न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। सुनाया गया मुख्यालय है।

SDO